

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैग्ल्स रोड), बिहार, पटना - 800015

ई-मेल

दूरभाष सं०:- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611/2215978
ई-मेल:- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक : बी1-3-68/2020-

3309

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रेषक

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

विषय :- नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में।

प्रसंग :- (1) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 464/SoP/2020/EPS दिनांक 24.08.2020.
(2) इस कार्यालय का पत्रांक 2834 दिनांक 28.08.2020 एवं पत्रांक 3114 दिनांक 11.09.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत निदेश के क्रम यह देखा जा रहा है इस संबंध में अभी भी भ्रम की स्थिति है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी इस संबंध में पृच्छा की गयी है। उक्त संदर्भ में स्थिति निम्नवत् है :-

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/SoP/2020/EPS दिनांक 24.08.2020 द्वारा इस बिन्दु पर निर्गत निदेश का उद्धरण इस प्रकार है "Number of persons to accompany candidate for submission of Nomination is restricted to two (2)."

आयोग द्वारा निर्गत निदेश से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति नामांकन के समय उपस्थित होने के लिए अनुमान्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

19/09/2020

(गोपाल मीणा)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक -

3309

पटना, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

19/09/2020

(गोपाल मीणा)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।